

Present: M.P Yadav, Addl. Sess. Judge-IX, Katihar
A.B.P. 329/2026, Complaint Case No- 2074/2025
न्यायालय— अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद— कटिहार (बिहार)

A.B.P. 329/2026
Complaint Case No- 2074/2025

1. सरोज कुमार हाड़ी पिता राम प्रसाद हाड़ी, उ०त० 27 वर्ष,
निवासी ग्राम— डाईवर टोला हनुमान मंदिर के बगल में, थाना— कटिहार,
जिला— कटिहार.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार विपक्षी।
अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लो०अ० श्रीसरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री.....संजय कुमार सिंह।

दिनांक: 19.03.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 26.02.2026 को आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता संजय कुमार सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. आवेदक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद वापसी का आवेदन दाखिल करते हुए निवेदन किया गया है कि मामला आज सुनवाई हेतु नियत है, परन्तु यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रॉपर ढंग से नहीं फाईल किया गया है। इस मामले में आवेदक मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है तथा इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहता है, इसलिए वह इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहता है।
3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है।
4. अतः वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर गुण—दोष पर विचार किये बगैर वाद वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।